Seventeenth Loksabha

>

Title: Need to amend Press Council Act, 1978.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : भारतीय व्यवस्था का एक अंग प्रेस व्यवस्था भी है और इसीलिए पत्रकारिता लोकतंत्र का न केवल चौथा स्तम्भ है, बल्कि भारतीय संविधान में भी इसको चौथे स्तम्भ के रूप में माना जाता है, जिसे बहुत ही सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है । एक प्रकार से पत्रकारिता व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति को समाज के बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति माना जाता है । और इसीलिए इस व्यवसाय को चौथे स्तम्भ के रूप में दर्जा प्राप्त है, जो सच्चाई को सामने लाने का कार्य करता है ।

इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि प्रेस व्यवस्था जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करती है और यही कारण है कि प्रेस व्यवस्था को मीडिया कहा जाता है, जो सरकार के क्रियाकलापों को जनता व सरकार तक पहुंचाने का कार्य करती है, जिससे किसी भी घटना की वास्तविकता का पता चलता है ।

पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण स्थान अपने आप ही हासिल नहीं किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है । कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है, जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे और सही तथ्य/सामाचार समाज के समक्ष रखे ।

लेकिन, प्रायः ये देखने में आया है कि इन कार्यों को करने में भारतीय प्रेस वयवस्था में कई कमियां भी नजर आती हैं तथा कुछेक पत्रकारों का वास्तविक पत्रकारियता से कोई लेना-देना नहीं होता है । जबकि सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनाये तथा गलत पत्रकारिता अर्थात् तत्यों को तोड़-मरोड़कर या मिथ्या सामाचार प्रकाशित करके देश की जनता को भ्रमित न किया जाए ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 में और संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं, ताकि पत्रकार कोई भी समाचार समाज के समक्ष ले जाने से पूर्व अपने प्रति पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लें कि वह समाचार सही है या नहीं ।